

INDIRA GANDHI SCIENCE COMPLEX PLANETARIUM, PATNA

BACKGROUND

The IGSC Planetarium, Patna was inaugurated on 20th March 1993 & opened for general visitors from 01st April 1993 under the administrative control of Bihar Council On Science and Technology, Government of Bihar, Department of Science & Technology, Patna for popularization of Science & Technology for the benefit of students and common mass by presentation of varieties of planetarium shows. Best reason to establish a planetarium to provide community a place where people can enjoy a guided journey of exploration through vast cosmos to which we all belong as well as to inculcate scientific temper among common masses and improve their awareness regarding science so that any misgivings, superstitions prevailing in their mind can be done away with. Hence the need for planetarium as front line artillery in the battle for science literacy is needed.

FACILITIES

- **AUDITORIUM**

The Centre has a fully air conditioned auditorium having a seating capacity of 224. It is well equipped with audio - visual systems, , cordless microphones etc. The auditorium is venue for all academic programs of the centre. It is available for use for like-minded organizations on payment of prescribed charges.

तारामंडल वातानुकूलित सभागार/लॉबी एरिया आरक्षण प्रपत्र (जानकारी एवं शर्तें संलग्न)

क. आरक्षण हेतु आवेदन (आवेदन कर्ता द्वारा भरा जायेगा)

1. आवेदन कर्ता का नाम एवं पता –
2. विषय जिस हेतु आरक्षण प्रार्थित है –
3. आरक्षण का प्रकार (जो उपयुक्त हो उसे नीचे लिखें) –
राजनीतिक/सांस्कृतिक/मनोरंजन/सेमिनार/संगोष्ठी/वैज्ञानिक व्याख्यान/व्यवसायिक/
सामाजिक /कार्यशाला
4. आरक्षण तिथि– अवधि –
5. प्रतिभागियों की अनुमानित संख्या–
6. मुख्य अतिथि/प्रतिभागी का नाम एवं पता –
7. शर्तों की पालन की वचनबद्धता – स्वीकार/अस्वीकार
आवेदन कर्ता का हस्ताक्षर

ख. (नीचे कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

1. आवेदन पत्र सं०–
2. आवेदित तिथि को सभागार की उपलब्धता –
3. उक्त तिथि/समय के लिए अन्य कोई आवेदन की जानकारी –
4. आरक्षण शुल्क की राशि (जो जमा किया जाना है) –
5. सिक्करीटी की राशि (जो जमा किया जाना है) –
6. तारामंडल कार्यालय सहायक का हस्ताक्षर –
परियोजना निदेशक का

हस्ताक्षर

ग. परियोजना निदेशक की अनुमति –

घ. सभागार/लॉबी व्यवस्थापक को सूचित– बिजली व्यवस्थापक का हस्ताक्षर ए०सी० व्यवस्थापक का हस्ताक्षर

ड. आरक्षण शुल्क जमा का व्यौरा (तारामंडल कार्यालय द्वारा संधारित)–

1. बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक नं०– दिनांक–
निर्गत करने वाली बैंक एवं शाखा का नाम –
2. जमा की गई राशि –
3. तारामंडल खाता संख्या– (जिसमें उपर्युक्त राशि जमा की गई)

जमा कर्ता का हस्ताक्षर

परियोजना निदेशक का हस्ताक्षर

आरक्षण रद्दीकरण –

1. काटी गई राशि –
2. वापस की गई राशि – चेक सं०— दिनांक— खाता सं०—

प्राप्त कर्ता का हस्ताक्षर

घोशणा

मैं उपर्युक्त शर्तों एवं नियमों को पूर्ण रूप से अनुपालन करने के लिये वचनबद्ध हूँ । यदि कार्यक्रम के आयोजन काल में इस नियमों का किसी प्रकार उल्लंघन होता है तो मेरे द्वारा जमा किया गया सिक्क्यूरीटी डिपोजिट को काट लिया जाये । क्षतिपूर्ती की राशि सिक्क्यूरीटी डिपोजिट से अधिक होने की स्थिति में शेष राशि का भरपाई अलग से करने को तैयार हूँ ।

आयोजक का हस्ताक्षर एवं संस्थान का नाम

दिनांक—

CorrespondenceAddress :

**Refund of Security Money
Cheque/Cancellation of
Auditorium/Lobby area reservation
Cheque payable**

To,

Payable at:-----

तारामंडल परिसर में उपलब्ध सभागार/लॉबी एरिया/कैफेटेरिया हॉल को किराया लगाने की शर्तें एवं जानकारी :-

(Terms and conditions for Auditorium/Lobby area/Cafeteria Hall Booking of Planetarium, Patna)

Phone No. 0612-2235264, Fax No. 0612-2230432

तारामंडल सभागार/लॉबी एरिया/कैफेटेरिया हॉल के आरक्षण के लिए आवेदन तारामंडल कार्यालय से उपलब्ध विहित प्रपत्र में दिया जायेगा

1.	आरक्षण की दर निम्नलिखित है :-	बुकिंग चार्ज	सिक्क्यूरीटी मनी
क.	Full Day (10AM to 6PM)	30,000 /-	5000 /- सभागार के लिए
ख.	Half Day (10AM to PM or 2PM to 6PM)	20,000 /-	5000 /- सभागार के लिए
ग. लिए	Full day (10AM to 6PM)	50,000 /-	10000 /-लॉबी एरिया के लिए
One day extra charge for preparation			
घ. लिए	Full Day (10AM to 6 PM)	6000 /-	NIL -कैफेटेरिया हॉल के लिए

(Goods & Service Tax 18% Extra)

(TERMS & CONDITIONS FOR CANCELLATION OF AUDITORIUM/ LOBBY AREA BOOKING)

आरक्षण रद्द करने का नियम

1. आयोजन की तिथि से एक सप्ताह पूर्व आरक्षण रद्द की सूचना देने पर जमा आरक्षण शुल्क में 10 प्रतिशत की कटौती की जायेगी
2. आयोजन की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर आरक्षण संबंधी रद्द की सूचना देने पर जमा आरक्षण शुल्क में 15 प्रतिशत की कटौती की जायेगी ।
3. आयोजन की तिथि से एक दिन पूर्व आरक्षण रद्द की सूचना देने पर जमा आरक्षण शुल्क में 50 प्रतिशत की कटौती की जायेगी
4. आयोजन के दिन आरक्षण रद्द की सूचना देने पर जमा आरक्षण शुल्क पूर्णतः रद्द हो जायेगी ।

तारामंडल परिसर में उपलब्ध सभागार/लॉबी एरिया/कैफेटेरिया हॉल को किराया लगाने की शर्तें एवं जानकारी

1. आरक्षण शुल्क अग्रिम जमा करना आवश्यक है क्यों कि निःशुल्क आरक्षण का प्रावधान नहीं है ।
2. सरकारी संस्थानों से आरक्षण शुल्क की पूर्ण राशि अग्रिम में बैंकर्स चेक/ड्राफ्ट/के द्वारा जमा किया जाना आवश्यक है । चेक परियोजना निदेशक, इंदिरा गाँधी विज्ञान परिसर-तारामंडल, पटना के नाम होना चाहिए ।
3. गैर सरकारी संस्थानों से आरक्षण शुल्क हेतु अग्रिम भुगतान बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक में ही स्वीकार किये जायेंगे। चेक द्वारा भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
5. आरक्षण शुल्क के साथ सिक्क्यूरीटी मनी अलग से बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक द्वारा जमा करना आवश्यक है जो कि सभागार/लॉबी एरिया में किसी प्रकार की क्षति होने या समय सीमा का विस्तार होने पर आरक्षण शुल्क भुगतान के साथ जमा राशि समायोजन कर लिया जायेगा । सभागार लॉबी एरिया को यथा स्थिति में पाये जाने पर सिक्क्यूरीटी की राशि सभा समाप्त होने के बाद लौटा दिया जायेगा ।
6. समय समाप्ति के उपरान्त अधिक समय का उपयोग करने के लिए प्रतिघंटा सभागार के लिए रुपये -10,000 की दर से अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा ।
7. सायं 6 बजे के बाद सभागार/लॉबी एरिया उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है ।
8. चेक या बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा की राशि तारामंडल के खाते में आने के बाद ही कार्यालय द्वारा मनी रसीद दिया जायेगा जिससे आरक्षण की पुष्टी समझी जायेगी ।
9. पूर्णतः वातानुकूलित सभागार में दर्शकों के लिए 224 कुर्सीयाँ उपलब्ध है इससे अधिक लोगों का प्रवेश वर्जित है । यह सभागार ध्वनि संयंत्रों से सुसज्जित है ।
10. सभागार के अन्दर साज-सज्जा को निर्धारित स्थल से इधर-उधर करना मना है ।
11. सभागार के अन्दर धूम्रपान/पान/तम्बाकू/गुटखा/चाय/नास्ता किसी प्रकार का खाने-पीने का समान ले जाना मना है । सभागार से सटे कैफेटेरिया हॉल में ही नास्ता, चाय एवं खाने की व्यवस्था किया जा सकता है ।
12. सभागार के अन्दर पोस्टर लगाना मना है । इसकी व्यवस्था हॉल से सटे लॉबी एरिया में उपलब्ध डिस्प्ले बोर्ड पर किया जा सकता है । डिस्प्ले बोर्ड के अलावे दिवार पर कही भी पोस्टर लगाया मना है ।
13. सभागार के बाहर या भीतर किसी प्रकार की बिजली एवं ध्वनि उपकरणों को छेड़ना मना है ।
14. सभागार/लॉबी एरिया को किसी प्रकार का राजनीतिक भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मनोरंजन कार्यक्रम इत्यादि केलिये उपयोग में लाना मना है । इस सभागार में सिर्फ सेमिनार/गोष्ठी/वैज्ञानिक व्याख्यान इत्यादि कराया जा सकता है ।
15. सभागार में ध्वनि व्यवस्था उपलब्ध है । इसके अलावे अतिरिक्त ध्वनि यंत्रों को लगाना या साउण्ड सिस्टम का कनेक्शन सभाकक्ष से बहार ले जाना मना है ।
16. सभागार में लगे कालीन या कुर्सीयों को गन्दा करना या उसको नुकसान पहुँचाना, फाड़ना मना है और यदि इस प्रकार की कोई गड़बड़ी पायी जाती है तो इसकी जिम्मेवारी आयोजकों को होगी और क्षति पूर्ति भी उनको ही करना होगा ।
17. सभागार लॉबी एरिया के अन्दर आम जनता के द्वारा किसी प्रकार का अवैध आग्नेयास्त्र ले जाना मना है ।
18. परिसर में आयोजकों को एक या दो अति विशिष्ट व्यक्तियों की गाडी अन्दर लाने की अनुमति है ।
19. परिसर में खाना बनाने हेतु निर्धारित स्थल पर ही आयोजक को करनी होगी तथा कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात उक्त स्थान की सफाई की जिम्मेवारी भी आयोजक की होगी । समुचित सफाई नहीं होने पर सिक्क्यूरीटी मनी जब्त करना प्रबंधन की बाध्यता होगी ।
20. परिसर को गंदा करना फूल तोड़ना गार्डन में प्रवेश करना वर्जित है ।
21. सभा के दौरान सभागार की कुर्सीयाँ , कालीन एवं माईक इत्यादि के तोड़-फोड़ होने जाने पर इसकी जिम्मेवारी आयोजकों पर होगी और क्षति पूर्ति उन्हें ही करना पड़ेगा ।
22. समय-समय पर निर्धारित शर्तों के अलावे अन्य नियमानुसार शर्तें भी लगाये जा सकते हैं उपरोक्त शर्तों के अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में जमा सिक्क्यूरीटी डिपोजिट की राशि से पूर्ण या आंशिक राशि की कटौति पर विचार किया जा सकता है । भविष्य में इस प्रकार की संस्थान को ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकता है ।
23. आरक्षण रद्द की माँग करने पर लागू नियम देखा जा सकता है ।
24. अपरिहार्य कारणों से पूर्व में कराये गये आरक्षण को भी संस्था द्वारा रद्द किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में जमा की गई राशि लौटा दी जायेगी ।
25. साईकिल एवं स्कूटर परिसर में जहाँ-तहाँ नहीं लगाकर स्टैण्ड में ही लगावें तथा उसका टिकट ले लें ।
26. सभा समाप्त हो जाने के पश्चात आयोजक अपना समान नियत समय (01 से 02 घंटा) के अन्दर निकाल कर सभागार खाली कर देंगे ।
27. जेनरेटर की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है । किसी कारणवश अचानक वातानुकूल यंत्र खराब होने जाने पर सभागार में सिर्फ पेडेस्टल पंखा की व्यवस्था ही हो सकती है ।
28. सभागार/लॉबी एरिया के आरक्षण में पूर्व से आरक्षित तिथि को बदलने के लिए पहले से आरक्षित तिथि को रद्द करना पड़ेगा जिस नियमानुसार रद्द करने का शुल्क काट लिया जायेगा । नये तिथि के लिए सभागार खाली रहने पर पुनः आरक्षण पर विचार किया जा सकता है जिसके लिए आवेदक को फिर से आवेदन देना पड़ेगा ।
29. किसी प्रकार की प्राकृति आपदा/विधी व्यवस्था संबंधी कारण से सभागार का आरक्षण तत्काल बन्द करने का अधिकार तारामंडल प्रबंधन के पास सुरक्षित है ।

• **EXHIBITION AREA**

It is available in ground floor area make available to organize various kind of exhibitions on payment of prescribed charges.

प्रेषक :-

परियोजना निदेशक
तारामंडल, पटना ।
सेवा में

.....,

महाशय,

आपका पत्र दिनांक- के अनुसार भवन का लॉबी एरिया (भूतल) निम्नलिखित शर्तों के साथ दिनांक-..... से तक प्रदर्शनी लगाने के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है :-

1. को सुबह 11.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक कार्यक्रम करना होगा । लॉबी एरिया (भूतल) में स्टॉल लगाने के लिए दिनांक- का एक दिन अतिरिक्त आरक्षण शुल्क देय होगा ।
2. संस्था कार्यक्रम हेतु उपलब्ध कराये जा रहे स्थान के लिए रूपये- 50,000.00 (पचास हजार) प्रतिदिन की दर से किराया एवं 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अग्रिम भुगतान करना होगा ।
- 3 संस्था द्वारा किराया की राशि अग्रिम भुगतान के बाद ही उपर्युक्त स्थान उपलब्ध कराया जायेगा ।
- 4 संस्था को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उनके कार्यक्रम की वजह से तारामंडल के दर्शकों को कोई असुविधा न हो । कार्यक्रम में आने वाले दर्शकों की भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेवारी भी आयोजको की होगी ।
- 5 प्रदर्शनी में लगाये गये सभी प्रदर्शो उपस्करों एवं समानों की सुरक्षा की जिम्मेवारी संस्था की स्वयं की होगी ।
- 6 प्रदर्शनी में लगाये स्टॉलों के अन्दर एवं बाहरी सजावट यदि किया जा रहा हो तो उस में उपयोग होने वाली विद्युत सामग्री एवं जेनरेटर की व्यवस्था आयोजक को स्वयं करना होगा ।
- 7 संस्था को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रदर्शनी के लिए लगाये जाने वाले स्टॉलों से भवन फर्श तथा दिवारों में किसी तरह की कोई क्षति नहीं होगी ।
- 8 प्रदर्शनी काल तक सुरक्षा की दृष्टिकोण से परिसर में फायर बिग्रेड की व्यवस्था भी संस्था के द्वारा किया जाना अनिवार्य है ।
- 9 सेमिनार में भाग लेने तथा प्रदर्शनी देखने के लिए आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के सुरक्षा की जिम्मेवारी आयोजक संस्था की होगी ।
- 10 तारामंडल प्रबंधन उपलब्ध कराये गये स्थानों के अलावे परिसर के किसी अन्य स्थल पर प्रदर्शनी के लिए स्टॉल नहीं लगाया जा सकता है । प्रदर्शनी स्थल के अंदर/बाहर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाना एवं फैशन शो/संस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना वर्जित है

- 11 अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की दो या तीन गाडीयों के पार्किंग की व्यवस्था तारामंडल परिसर के अन्दर की जा सकती है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी आयोजकों की होगी । अन्य गाडी का परिसर में प्रवेश वर्जित है ।
- 12 आयोजन स्थल को साफ-सूथरा रखने की जिम्मेवारी आयोजकों की ही होगी ।
- 13 तारामंडल परिसर में स्कूटर एवं साईकिल स्टैण्ड उपलब्ध है जहाँ मामूली शुल्क देकर साईकिल एवं स्कूटर लगाया जा सकता है । आयोजकों तथा दर्शकों द्वारा इस सुविधा के उपयोग की अपेक्षा की जाती है ।
- 14 तारामंडल के उद्यान में आम जनता का प्रवेश एवं फोटोग्राफी वर्जित है । कृपया कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाये रखने के लिए आयोजक इस पर ध्यान दें ।
- 15 भवन के बाहर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाना मना है ।
- 16 परिसर के अन्दर या बाहर दिवाल पर कोई पोस्टर चिपकाना मना है ।
- 17 सभी प्रवेश द्वार एवं निकास द्वार को छोड़कर ही स्टॉल लगावें ।
- 18 अपने बैनर एवं पोस्टर एवं अन्य समान की रखवाली स्वयं करें । तारामंडल प्रशासन की कोई जवाबदेही नहीं होगी ।
- 19 रू0 दस हजार प्रतिदिन की हिसाब से सिक्क्युरीटी मनी जमा करना होगा ।
- 20 जेनरेटर की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है ।
- 21 उपर्युक्त सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है अन्यथा सिक्क्युरीटी मनी जब्त कर लिया जायेगा । और भविष्य में तारामंडल परिसर में उन्हें यह सुविधा देय नहीं होगा ।
- 22 निर्धारित अवधि से अधिक समय तक प्रदर्श स्थल का उपयोग करने पर प्रति घंटा रूपये 10,000.00 की दर पर देय जी0एस0टी0 शुल्क 18 प्रतिशत के साथ अतिरिक्त राशि की वसूली जमा सुरक्षा राशि से कर ली जायेगी । यदि जूर्माना की राशि सुरक्षा राशि से अधिक हो उस परिस्थिति में आयोजक द्वारा अतिरिक्त शुल्क का भुगतान सुनिश्चित करना पड़ेगा ।
- 23 मेला में प्रवेश हेतु केवल पश्चिमी द्वार का उपयोग किया जायेगा ।
24. किसी प्रकार की प्राकृति आपदा/विधी व्यवस्था /अपरिहार्य कारण से लॉबी एरिया (भूतल) का आरक्षण तत्काल बन्द करने/रदद करने का अधिकार तारामंडल प्रबंधन के पास सुरक्षित है ।

अतः यदि मान्य हो तो आरक्षण शुल्क राशि रू0-..... तथा सुरक्षा राशि रू0- कुल देय राशि रू0..... NEFT / RTGS द्वारा G.S.T. Invoice में वर्णित खाता में जमा करने की कृपा करें ।

अनुलग्नक :- यथावर्णित ।

(परियोजना निदेशक)

• **Present Planetarium Show** :- **COSMIC JOURNEY (अंतरिक्ष यात्रा)**

• **Duration** :- **35 Minutes**

• **Planetarium Show Timing :-**

1. First Show :- 12.30 PM

2. Second Show :- 02.00 PM

3. Third Show :- 03.30 PM

4. Last Show :- 05.00PM

• **Entry Charge** :- Rs.50.00 per head above 03 years

• **Total Seats** :- 261

• **Concession** :-

For students a special planetarium show may be arranged at 11.00 A.M. for 261 Occupants by prior approval of Project Director The charge of Ticket will be Rupees Ten Thousand Four Hundred Forty(10,440.00) @ Rs.40.00 per student.